तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **कैलाश बनाम लीला पारीक** **103/11**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.02.19	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि उपरोक्त प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है जिसकी छाया प्रति संलग्न पेश है तथा अपीलार्थी उक्त राजीनामे की पालना में अपनी उक्त अपील विड्रो करना चाहता है। अतः अपील अपीलान्ट विड्रो करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने के कारण अपीलान्ट स्वयं ही अपनी अपील को विड्रो करना चाहता है। ऐसी स्थिति में जब अपीलान्ट स्वयं ही अपनी अपील को विड्रो करना चाहता है तो अब हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा अपील विड्रो किये जाने से अपील अपीलान्ट विड्रो/खारिज की जाती है। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावे तथा पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (के0सी0वर्मा) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	